अध्याय-11
सर्वोत्तम प्रणालियाँ

- अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रणालिया
- राज्य के पंचायती राज संस्थाओं की सर्वोत्तम प्रणालियाँ
- राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की सर्वोत्तम प्रणालियाँ

11.1 संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकयों को स्थानीय शासन की ईकाई के रूप संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने के साथ–साथ स्थानीय निकायों के लिये संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन के लिये वित्तीय व्यवस्था की गई है। स्वयं के स्रोत तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाली राशि के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों एवं पथकरों का एक निश्चित प्रतिशत स्थानीय निकायों को प्रदान करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। राज्य वित्त अयोग की अनुशंसा पर राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को प्रदान की जाने वाली राशि के न्यागमन की भिन्न–भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी प्रकार स्थानीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्रोत से आय बढ़ाने के लिये अलग–अलग तरीके से प्रयास किये जाते हैं। किसी नवीन पहल के फलस्वरूप यदि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त होते हैं तो समान परिणाम प्राप्त करने के लिये ऐसी पहल सर्वोत्तम अभ्यास[1] बन जाती हैं। सामान्यतः कोई भी प्रणाली निरपेक्ष रूप से उत्तम या सर्वोत्तम नहीं होती है किन्तु सापेक्षिक रूप से अच्छी या कम अच्छी हो सकती हैं। राज्य से स्थानीय निकायों को राशि के न्यागमन के लिये अपनाई जा रही प्रणालियों तथा स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के स्रोत से आय को बढ़ाने के क्षेत्र में की गई पहलों में से ऐसी प्रणालियाँ एवं पहलें, जो अनुकरणीय हो सकती हैं, को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

ओडिशा राज्य की स्थानीय निकायों को राशि न्यागमन प्रणाली

11.2 संवैधानिक व्यवस्था के अनुपालन में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों एवं पथकरों, अर्थात कर एवं गैर कर आय की एक निश्चित प्रतिशत राशि स्थानीय निकायों को न्यागमन या अंतरित की जाती है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदान की जाने वाली राशि के न्यागमन के लिये प्रत्येक राज्य द्वारा अपनायी जाने वाली प्रणाली भिन्न होती है। पांचवे ओडिशा राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि को शुद्ध विभाज्य पूल के 10 प्रतिशत तक सीमित रखने की अनुशंसा की गई है। ओडिशा शासन द्वारा स्थानीय निकायों को राशि का न्यागमन[2] निम्नांकित प्रकार से किया जाता है :–

1. अनाबद्ध राशि

स्थानीय निकायों को न्यागमन या अंतरित की जाने वाली कुल राशि का एक भाग स्थानीय निकायों को अनाबद्ध न्यागमन या अंतरित किया जाता है। वर्ष 2020 से 2025 के बीच 5 वर्षों में कुल न्यागमन या अंतरित की जाने वाली कुल अनुशंसित राशि में से 29 प्रतिशत राशि अनाबद्ध जारी किया जाना प्रस्तावित है। इस राशि को व्यय करने के लिये स्थानीय निकायों से संबंधित विभागों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। ओडीसा शासन, पंचायतीराज एवं पेयजल विभाग द्वारा 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर न्यागमन की जाने वाली राशि के उपयोग हेतु जारी दिशा निर्देश की प्रति अवलोकन हेतु (अनुलग्नक 11.1) पर दी गई है।

---

1 एक विशिष्ट परियोजना अथवा अभिनव कार्यक्रम के क्रियान्वयन अथवा विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए नवीन प्रणाली अथवा पद्धति को अपनाना जिसका प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जिसके परिणामस्वरूप व्यवस्था में सुधार होता है तो उसे सर्वोत्तम अभ्यास कहा जा सकता है।

2 Action Taken Report on the Recommendation of Fifth Odisha State Finance Commission, Finance Department, February, 2020

2. समनुदेशित प्राप्तियाँ

पाँचवें ओडिशा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) से प्राप्त राजस्व का 7.46 प्रतिशत हिस्सा राज्य के स्थानीय निकायों को समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में प्रदान किया जा रहा है। स्थानीय निकायों के वेतन, भत्तों, स्थापना, बैठक शुल्क, जनप्रतिनिधियों के मानदेय तथा यात्रा भत्ते इत्यादि व्ययों की पूर्ति, इसी राशि से की जाती है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) के अतिरिक्त सड़कों के सुधार एवं संधारण हेतु मोटर वाहन कर का 8.03 प्रतिशत हिस्सा पंचायतीराज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को समनुदेशित किया गया है। कुल अनुशंसित न्यागमन या अंतरित राशि में समनुदेशित प्राप्तियों का हिस्सा 38 प्रतिशत है।

3. अनुदान

कुछ विशेष क्षेत्रों के विकास के लिये आवश्यक राशि की पूर्ति आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः अनुदान के रूप में की जाती है। कुल अनुशंसित न्यागमन या अंतरित राशि का 33 प्रतिशत भाग स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में दिया जाता है। अनुदान के लिये सम्मिलित क्षेत्रों में नल जल आपूर्ति, ग्राम पंचायत मुख्यालय में सुविधाओं का प्रावधान, स्ट्रीट लाईट, पंचायत संपत्तियों का संधारण, पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण, नवोन्मेषी प्रथाएँ, शहरों में सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जल क्षेत्रों का विकास आदि प्रमुख हैं। विशिष्ट सहायता अनुदान के उपयोग और अनुवर्ती तंत्र के लिए वित्त विभाग द्वारा उच्च स्तरीय निगरानी समिति के अनुमोदन से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं।

11.3 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर न्यागमन की जाने वाली राशि सीधे इन निकायों के अनुमोदित अकाउंट्स में जारी की जाती है, जो कि PFMS (Public Finance Management System-PFMS)vkSj IFMS (Integrated Financial Management System-IFMS)ds lkFkPRIASOFT (Panchayati Raj Institution Accounting Software-PRIASOFT से एकीकृत हैं। राशि दो किश्तों, जून और अक्टूबर या नवंबर में जारी की जाती है[3]।

11.4 ओडिशा सरकार की स्थानीय निकायों को न्यागमन की एक और बड़ी विशेषता यह है कि स्थानीय निकाय राज्य शासन की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) कर अपने क्षेत्र में कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस हेतु अनुदान मद से स्थानीय निकायों का हिस्सा स्वीकृत किया जाता है।

नगर निगम इन्दौर, मध्यप्रदेश

11.5 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छता पुरस्कार दिये जाते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों के अंतर्गत एक लाख से अधिक

---

3 ओडिशा शासन, पंचायतीराज एवं पेयजल विभाग द्वारा 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर न्यागमन की जाने वाली राशि के उपयोग हेतु जारी दिशा निर्देश क्र. 9252 दिनांक 05.06.2020

जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में इन्दौर को 2022 में लगातार 6वीं बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसी भी संस्था के लिये शीर्ष पर पंहुचना आसान नहीं होता हैं, इसके लिये संस्था को विभिन्न प्रकार से प्रयास करने होते हैं। स्वच्छता के शीर्ष पर पहुँचने के लिये नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा निम्नानुसार कार्य किये गयेः–

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

11.6 किसी भी संस्था को अपने लक्ष्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिये व्यूहरचना के साथ राशि की आवश्यकता होती है। इन्दौर नगर निगम द्वारा भी राजस्व प्राप्तियों के लिये स्वयं के स्रोत से आय बढ़ाने पर विशेश जोर दिया है। निगम की कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के स्रोत से आय का हिस्सा 2020–21 में 25 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 34 प्रतिशत हो गया है। स्वयं के स्रोत से आय का 60 प्रतिशत हिस्सा संपत्ति कर से प्राप्त होता है। सेवा शुल्क का संग्रहण भी अंतिम तीन वर्षों में सर्वाधिक रहा है। सेवेन स्टार रैंकिंग के लिये आवासीय क्षेत्र से 75 प्रतिशत और व्यावसायिक क्षेत्र से 90 प्रतिशत सेवा, शुल्क की वसूली अनिवार्य होती है। इसके अलावा निगम द्वारा 2020–21 में रू. 320 करोड़ के ऋण एवं 2022–23 में 244 करोड़ के बॉण्ड जारी कर विकासात्मक कार्यों के लिये धनराशि प्राप्त की गई है।

इन्दौर नगर निगम की कुल राजस्व प्राप्तियाँ

(राशि लाख रू. में)

क्र.	विवरण	2020–21	2021–22	2022–23
1.	स्वयं के स्रोत से आय	48316.41	72460.10	74415.81
		(25.16)	(40.04)	(34.33)
2.	समनुदेशित राजस्व एवं नियमित अनुदान	71717.24	70987.30	77076.53
		(37.35)	(39.22)	(35.55)
3.	परियोजना अनुदान एवं पूंजीगत प्राप्तियॉ	39965.08	37519.35	40895.30
		(20.82)	(20.73)	(18.86)
4.	ऋण एवं बॉंड	32000.00		24400.00
		(16.67)		(11.26)
योग		191998.73	180966.75	216787.64

स्रोतः राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़ के समक्ष नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण।
टीपः कोष्टक में दिये गये अंक उस मद का वर्ष के कुल योग में प्रतिशत को व्यक्त करते हैं।

11.7 नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा सेवा शुल्क बढ़ाने के लिये निम्नानुसार प्रयास किये गये :–

- जागरूकता के लिये विशष अभियान का आयोजन
- विशेष अभियानों में वरिष्ठ शासकीय अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों की भागीदारी

रणनीतिक पहलें

11.8 स्वच्छता के क्षेत्र में देश में नंबर एक बनने से पहले आम शहरों की भांति इन्दौर के समक्ष भी अनेक चुनौतियाँ थीं। गैर प्रेरणादायी कर्मचारी, सार्वजनिक सहभागिता का अभाव, इन्दौर नगर निगम के प्रति विश्वास का अभाव, 'डोर टू डोर' कलेक्शन का न होना, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रणाली का अभाव तथा अपर्याप्त

अधोसंरचना आदि प्रमुख चुनौतियाँ थीं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिये इंदौर नगर निगम द्वारा निम्नलिखित पहलें की गईं:–

- 'जैसा है' की समीक्षा–शहर की अधोसंरचना और सफाई कर्मचारियों की समीक्षा
- प्रमुख हितधारकों के साथ नियमित बैठकें – सफाई कर्मचारी संघ, गैर सरकारी संगठन, निगम कर्मचारी एवं आम नागरिक
- 'डोर टू डोर' एवं स्रोत पृथक्करण पर ध्यान केन्द्रित करना
- 'कूड़ेदान मुक्त शहर पहल'– कचरे की खोज पर विशेष ध्यान
- प्रत्येक परिवार को प्रोत्साहित करने के लिये डोर टू डोर गाड़ी के साथ गैर सरकारी संगठनों को संगठित करना
- इंदौर नगर निगम के प्रत्येक गतिविधियों और पहल में विधायकों, महापौर, सभापति, पार्षद आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना
- आयुक्त के नेतृत्व में निगम की टीम द्वारा प्रातः 6–6.30 बजे के बीच क्षेत्र भ्रमण
- कचरा प्रबन्धन संबंधी गाड़ियों एवं मशीनों की खरीदी
- नगर निगम के स्तर पर प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता का विकास–किराये की मशीनरी/उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, कचरा परिवहन के लिये निजी क्षेत्र को दिये गये ठेके को निरस्त करना एवं ISO प्रमाणित वाहन मरम्मत कार्यशाला की स्थापना
- वाहन कार्यशाला के कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं उन्नयन (शत प्रतिशत वाहनों की निगम की कार्यशाला में मरम्मत)

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

11.9 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये इंदौर नगर निगम द्वारा जो प्रक्रिया अपनायी गई उसकी स्थापना में गैर सरकारी संगठनों (Non Government Organization-NGO) का महत्वपूर्ण योगदान है। निगम के साथ 6 गैर सरकारी संगठनों को संलग्न किया गया है। प्रत्येक वार्ड में इन संगठनों के 4 से 6 व्यक्ति निगम कर्मचारियों के साथ संलग्न हैं। प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों को निम्नानुसार संगठित किया गया :–

- डोर टू डोर' वाहनों के साथ गैर सरकारी संस्थाओं के लोगों को संलग्न किया गया।
- गैर सरकारी संगठनों द्वारा परिवारों संबंधी जानकारी एकत्र की गई।
- सप्ताहांत पर इन संगठनों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया।
- कचरा देने और उसे घर पर ही अलग–अलग कर, कचरा गाड़ियों को देने हेतु वार्ड वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'तथा
- कचरा गाड़ियों का रूट प्लान बनाने के लिए, गैर सरकारी संगठनों की सेवाएँ ली गईं।

कचरे का अलग अलग संग्रहण

11.10 प्रारंभ में इन्दौर नगर निगम द्वारा डोर टू डोर' वाहनों के द्वारा प्रारंभ में गीला और सूखा दो प्रकार का कचरा अलग अलग लिया जाता था, अब निगम द्वारा 6 प्रकार का कचरा घरों से ही अलग अलग एकत्र किया जाता है। छः प्रकार के कचरे निम्नानुसार हैंः–

- गीला कचरा
- प्लास्टिक कचरा
- गैर प्लास्टिक कचरा
- सैनिटरी अपशिष्ट
- घरेलू खतरनाक अपशिष्ट
- इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट

सामुदायिक भागीदारी

11.11 इन्दौर नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की आत्मा जन सहभागिता अथवा लोगों की भागीदारी है। लोगों द्वारा कचरा घर से ही अलग अलग कर कचरा गाड़ियों को दिया जाये, इस हेतु लोगों से सहयोग प्राप्त करने के लिये निगम द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रयास किये गये। इस हेतु किये गये प्रयास निम्नलिखित हैंः–

- महिलाओं की भागीदारी
- घरों से ही छः प्रकार का कचरा अलग अलग कर देने के लिये सूचना, शिक्षा एवं संचार पद्धति (Information, Education and Communication-IEC) का उपयोग
- सैनिटरी अपशिष्ट को किस प्रकार रैप कर दिया जाये इस हेतु जागरूकता अभियान
- विकेन्द्रीकृत सूखा कचरा एकत्रीकरण पद्धति

संकलित कचरे का प्रसंस्करण

11.12 स्वच्छता के क्षेत्र में जितना जरूरी कचरे को घरों, सार्वजनिक स्थानों एवं व्यावसायिक संस्थानों से एकत्र करना है उससे कहीं अधिक महत्व एकत्रित कचरे का समुचित निराकरण है। यही कारण है कि इन्दौर नगर निगम द्वारा गीले एवं सूखे कचरे का अलग–अलग प्रसंस्करण कर एकत्रित कचरे के समुचित निराकरण की व्यवस्था की गई है।

गीले कचरे का प्रसंस्करण

11.13 गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिये, निगम द्वारा, बायो सी एन जी संयत्र लगाया गया है। इसके अलावा विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबन्धन की भी व्यवस्था की गई है। दोनों माध्यमों से लगभग 750 मीट्रिक टन प्रतिदिन गीले कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा रही है :–

- ऽ गड्ढे से खाद बनाना
- कचरा स्थल पर खाद बनाने की व्यवस्था
- चलित वैन में खाद बनाना
- घरों में ही खाद बनाना
- उद्यानों में अपशिश्ट ड्रमों में खाद बनाना
- वृहद स्तर पर खाद बनाने की व्यवस्था

सूखे कचरे का प्रसंस्करण

11.14 इंदौर नगर निगम क्षेत्र से औसतन 481 टन प्रतिदिन सूखा कचरा निकलता है। सूखे कचरे के प्रसंस्करण के लिये निगम में 600 टन प्रतिदिन की केन्द्रीयकृत और 44 टन प्रतिदिन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था है। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत 'सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा' (Material Recovery Facility-MRF) केन्द्रों में सूखे कचरे से वैयक्तिक रूप से उपयोगी सामग्री को छांट कर अलग किया जाता है और फिर उसका निराकरण किया जाता है। सैनिटरी अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, एवं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, जो कि क्रमशः 10.8, 4.4 एवं 2.2, टन प्रतिदिन निकलता है, उसकी संपूर्ण मात्रा का अलग–अलग निपटान की यांत्रिकीय व्यवस्था की गई है।

अन्य महत्वपूर्ण पहलें

11.15 स्वच्छता एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्ष 2017 में प्रथम बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने के बाद शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिये इंदौर नगर निगम निरंतर कार्यशील है। शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के क्षेत्र में इन्दौर नगर निगम के निम्नलिखित कार्य भी उल्लेखनीय हैं:–

- भवन निर्माण सामग्री एवं भवन तोड़–फोड़ अपशिष्ट से पेवर टाईल्स का निर्माण
- निगम के पुराने भू–भरण स्थल (Land Fill Site) की जैविक खुदाई एवं जैविक उपचार द्वारा उस स्थान पर जंगल विकसित करना–100 एकड़ भूमि का उद्धार
- एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध
- शिकायत निवारण के लिये स्वच्छता एप इन्दौर 311 का उपयोग
- शहर की सुन्दरता को बढ़ाने के लिये विभिन्न कार्य – पर्याप्त पार्किंग निर्माण, नदी नालों का सौंदर्यीकरण, आवारा मवेशियों को हटाना
- सार्वजनिक सुविधाओं–सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
- कार्बन क्रेडिट से आय उत्पन्न करना–देश का पहला शहर

राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं की सर्वोत्तम प्रणालियाँ

1. ग्राम पंचायत पटना, जिला – बैकुण्ठपुर

11.16 छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर की पटना ग्राम पंचायत स्वयं के स्रोत से आय प्राप्त करने में अग्रणी है। स्वयं के स्रोत से अच्छी मात्रा में आय प्राप्त करने के कारण ग्राम पंचायत पटना की कार्य प्रणाली को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रणालियों में सम्मिलित किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार पटना ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 5,124 जिसमें 2,551 पुरूश और 2,573 महिलायें हैं। कुल जनसंख्या में 16–16 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं। ग्राम पंचायत में कुल 20 वार्ड हैं।

कर एवं गैर कर आय की मदें

11.17 ग्राम पंचायत पटना द्वारा स्वयं के स्रोत से अपनी आय बढ़ाने के लिये वैधानिक करारोपण के अलावा विभिन्न प्रकार के सेवा शुल्क भी लगाये गये हैं। करों में जल कर, प्रकाश कर एवं वृत्ति कर आय के प्रमुख स्रोत हैं। विभिन्न प्रकार के सेवा शुल्कों के अंतर्गत भूमि परिवर्तन, पशु पंजीयन, निवास, जाति, आय इत्यादि का प्रमाण, विद्युत एवं अन्य प्रयोजनों के लिये प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञा, व्यवसायों के लिये अनुज्ञा हेतु शुल्क लिये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत के तालाब, मछली पालन हेतु लीज पर दिये गये हैं और व्यावसायिक परिसर बनाकर, दुकानें बनाकर किराये पर दी गई हैं। ग्राम पंचायत द्वारा लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:–

तालिका क्र. 11.1
ग्राम पंचायत पटना द्वारा निर्धारित कर एवं शुल्क की दरें

क्र.	कर का नाम	निर्धारित दर	क्र.	कर का नाम	निर्धारित दर
1.	जलकर	रू. 100 प्रतिमाह	11.	उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र	रू. 20
2.	प्रकाश कर	रू. 120 प्रतिमाह	12.	विद्युत एवं अन्य प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र	रू. 20
3.	वृत्ति कर	रू.300 से 1400 प्रति वर्ष	13.	भवन निर्माण अनुज्ञा फार्म प्रमाण	रू. 20
4.	भूमि परिवर्तन शुल्क	रू. 10 प्रति वर्ग मीटर	14.	भूमि नामांतरण	रू. 100
5.	गैर आवासीय (व्यावसायिक कर)	रू. 15 प्रति वर्ग मीटर	15.	अप्राधिकृत निर्माण का नियमितिकरण	रू. 500
6.	पशु पंजीयन शुल्क	रू. 20 प्रति पशु	16.	होटल, मोटर गाड़ी मरम्मत दुकानों की अनुज्ञा	रू. 500
7.	तालाब लीज	मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित हैक्टेयर अनुसार	17.	होटल, मोटर गाड़ी मरम्मत दुकानों का नवीनीकरण शुल्क	रू. 200
8.	भवन किराया	वर्ग फिट के आधार पर	18.	अन्य व्यवसाय हेतु अनुज्ञा	रू. 100
9.	बाजार शुल्क संग्रहण	पंचायत अधिनियम अनुसार	19.	मोबाईल टावर अनुमति शुल्क	रू. 25,000
10.	निवास, जाति आदि प्रमाण पत्र	रू. 10	20.	मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क	रू. 10,000

स्रोतः पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़

स्वयं के स्रोत से प्राप्त आय

11.18 पटना ग्राम पंचायत में वर्ष 2018–19 में स्वयं के स्रोत से वार्षिक रू. 27.85 लाख की आय प्राप्त हुई है। स्वयं की आय के अंतर्गत सबसे अधिक रू. 22.59 लाख की आय व्यावसायिक परिसर की दुकानों के किराये से हो रही है। बाद के वर्षों में दुकानों के किराये से होने वाली आय में गिरावट आने तथा वर्ष 2019–20 और 2020–21 कोविड काल होने के कारण स्वयं के स्रोत से होने वाली आय में कमी आयी है, किन्तु वर्ष 2021–22 में बढ़कर पुनः 18.67 लाख हो गई है। बाजार शुल्क, व्यवसाय पंजीयन शुल्क तथा तालाब ठेका स्वयं के स्रोत से आय की महत्वपूर्ण मदें हैं, जो तालिका क्रमांक 11.2 पर उपलब्ध है।

तालिका क्र. 11.2
पटना ग्राम पंचायत की स्वयं के विभिन्न स्त्रातों से आय

(राशि रू. में)

क्र.	मद का नाम	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
कर आय					
1	जल कर	1,14,730	75,500	60,910	41,050
2	प्रकाश कर	11,460	8,530	4,180	3,530
योग		1,26,190	84,030	65,090	44,580
गैर कर आय/शुल्क					
3	बाजार शुल्क	1,90,325	4,19,913	2,81,640	3,33,911
4	पशु पंजीयन शुल्क	2,675	250	0	0
5	भूमि क्रय विक्रय, नामान्तरण शुल्क	600	4,200	2,100	0
6	विविध जारी प्रमाण पत्रों से आय	4,910	4,840	3,060	4,200
7	व्यवसाय पंजीयन शुल्क	16,100	23,000	20,000	28,200
योग		2,14,610	4,52,203	3,06,800	3,66,311
अन्य आय					
8	कोरिया नीर	1,52,295	13,800	12,000	0
9	व्यावसायिक परिसर दुकान किराया	22,58,837	8,48,968	6,38,875	13,94,954
10	तालाब ठेका	18,545	39,591	60,370	33,240
11	मोबाईल टावर	10,000	10,000	0	25,000
12	अन्य आय	4,910	12,540	32,095	3,500
योग		24,44,587	9,24,899	7,43,340	14,56,694
कुल योग		27,85,387	14,61,132	11,15,230	18,67,585

स्रोतः पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़

स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय की संरचना

11.19 स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय की संरचना को देखने से पता चलता है कि पटना ग्राम पंचायत की स्वयं की आय का औसत लगभग 5 प्रतिशत करों से, 21 प्रतिशत गैर करों अर्थात विभिन्न प्रकार के शुल्कों से और सर्वाधिक 75 प्रतिशत राशि आय के विशेष स्रोतों अर्थात दुकानों के किराये, तालाब ठेका, मोबाईल टॉवर लगाने के शुल्क से प्राप्त होती है। मदवार सर्वाधिक 68 प्रतिशत आय व्यावसायिक परिसर की दुकानों के किराये से प्राप्त होती है, इसका अवलोकन तालिका क्रमांक 11.3 में किया जा सकता है।

तालिका 11.3
स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय की संरचना

(स्वयं के स्रोत से प्राप्त कुल आय के प्रतिशत के रूप में)
(प्रतिशत में)

क्र.स.	मद का नाम	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
कर आय					
1	जल कर	4.1	5.2	5.6	2.2
2	प्रकाश कर	0.4	0.6	0.4	0.2
योग		4.5	5.8	6.0	2.4
गैर कर आय/शुल्क					
3	बाजार शुल्क	6.8	28.7	26.0	17.9
4	पशु पंजियन शुल्क	0.1	0.0	0.0	0.0
5	भूमि क्रय विक्रय, नामान्तरण शुल्क	0.0	0.3	0.2	0.0
6	विविध जारी प्रमाण पत्रों से आय	0.2	0.3	0.3	0.2
7	व्यवसाय पंजियन शुल्क	0.6	1.6	1.8	1.5
योग		7.7	30.9	28.3	19.7
अन्य आय					
8	कोरिया नीर	5.5	0.9	1.1	0.0
9	व्यावसायिक परिसर दुकान किराया	81.1	58.1	57.3	74.7
10	तालाब ठेका	0.7	2.7	5.4	1.8
11	मोबाईल टावर	0.4	0.7	0.0	1.3
12	अन्य आय	0.2	0.9	2.9	0.2
योग		87.8	63.3	66.7	78.0
कुल योग		100	100	100	100

ग्राम पंचायत द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति

11.20 ग्राम पंचायत के द्वारा ग्रामीणों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के संचालन तथा प्रबन्धन एवं कार्यालयीन कार्यों के संपादन हेतु पंचायत द्वारा 9 कर्मचारियों को कार्य पर रखा गया है। इन कर्मचारियों में एक लेखापाल, एक डेटा एण्ट्री ऑपरेटर, पांच पम्प चालक, एक भृत्य एवं एक स्वीपर का पद सम्मिलित है। ये सभी ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं और ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्रोत से प्राप्त आय में से इन कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिमाह रू. 45,000 व्यय किये जाते हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ

11.21 ग्राम पंचायत निवासियों की सुविधाओं एवं कल्याण के लिये ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न प्रकार के जनकल्याणकारी कार्य किये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा ''कोरिया नीर'' के नाम से न्यूनतम दरों पर आर.ओ.

पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। सामाजिक, पारिवारिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिये ग्राम पंचायत में दो सामुदायिक भवन बनाये गये हैं। तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया है। प्रमुख गलियों पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है। बस स्टैण्ड भी बनाया गया है। नल जल की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख स्थल पर सोलर हाई मास्ट लाईट लगाई गई है।

स्वयं के स्रोत से आय बढ़ाने के उपाय

11.22 ग्राम पंचायत पदाधिकारी केन्द्र एवं राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान एवं योजना राशियों के अतिरिक्त स्वयं के स्रोत से आय बढ़ाने के संबंध में पर्याप्त जागरूक हैं। पंचायत पदाधिकारी इस बात से सहमत भी हैं कि ग्राम पंचायत के स्वयं की आय में वृद्धि कर नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सकती हैं। ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली से यह परिलक्षित भी होता है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं की आय में वृद्धि के लिये निम्नानुसार प्रयास किये जा रहे हैं :–

- ग्राम सभा एवं पंचायत पदाधिकारियों की बैठकों का नियमित आयोजन
- ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली को ग्राम सभा की बैठकों में ग्रामवासियों से साझा करना
- ग्रामवासियों के जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिये अधिक से अधिक कार्य करना
- समय समय पर ग्राम पंचायत के विभिन्न मोहल्लों में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना
- ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों के बीच जीवन्त संबंध बनाये रखना

बॉक्स 11.1: छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं की आय को बढ़ाने के लिये किये जा रहे उपाय

- ग्राम पंचायत में फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण।
- ग्राम में स्थित नदी (जोंक) से रेत निकालने आने वाले वाहन मालिकों से वाहन शुल्क लेना।
- नदी/तालाब में बोटिंग की सुविधा विकसित कर आय प्राप्त करना।
- प्रत्येक ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु चर्चा की जाती है
- मनरेगा में किये गये तालाब गहरीकरण के पार में फसल लगाने हेतु नीलाम करना।
- स्वच्छता कर का निर्धारण।
- गांवों के तालाबों में मछली पालन कर लगाना।
- ग्राम पंचायत में जितनी भी दुकानें हैं, सभी पर कर लगाना।

2. ग्राम पंचायत टेंगनाबासा, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़

11.23 आदिवासी बहुल ग्राम पंचायत टेंगनाबासा, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के छुरा जनपद पंचायत में स्थित है। अधिकांश जनसंख्या जीवनयापन के लिये कृषि पर निर्भर है। स्वयं के स्रोत से आय प्राप्त करने के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने के कारण ग्राम पंचायत को सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ग्राम पंचायत के तीन आश्रित ग्राम टेंगनाबासा, रावणभाठा एवं लालापुर हैं। पन्द्रह वार्डों के ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 1623 और परिवारों की संख्या 546 है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार अनिवार्य एवं एच्छिक करों की न्यूनतम दरें आरोपित की गई हैं।

उपलब्ध सुविधाएँ

11.24 ग्राम पंचायत में 4 आंगनबाड़ी केन्द्र, 3 प्राथमिक शाला, 2 माध्यमिक शाला, 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 तालाब और 15 हैंडपंप हैं। ग्राम पंचायत के तीनों आश्रित ग्रामों में नल जल की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। तीनों आश्रित ग्रामों में स्ट्रीट लाईट की सुविधा भी उपलब्ध है।

करारोपण

11.25 टेंगनाबासा ग्राम पंचायत द्वारा अनिवार्य करों के अंतर्गत प्रकाश कर, मकान कर एवं व्यवसाय कर लगाये गये हैं। वैकल्पिक करों में जल कर, तालाब लीज एवं मोबाईल टॉवर शुल्क की वसूली की जा रही है। अनिवार्य एवं वैकल्पिक करों के अलावा भवन अनुज्ञा जारी करने तथा जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिये शुल्क लिया जाता है।

11.26 स्वयं के स्रोत से आय उद्ग्रहित करने के क्षेत्र में ग्राम पंचायत की विशिष्ट उपलब्धि यह है कि कर मांग के विरूद्ध कर राशि की 99 प्रतिशत वसूली की जा रही है। वर्ष 2021–22 में ग्राम पंचायत द्वारा रू. 3,28,470 की कर मांग के विरूद्ध रू. 3,25,220 की वसूली की गई है। स्वयं के स्रोत से प्राप्त आय में सर्वाधिक 92 प्रतिशत आय वैकल्पिक करों और 7 प्रतिशत राशि अनिवार्य करों से प्राप्त होती है। केवल एक प्रतिशत राशि भवन अनुज्ञा एवं जाति तथा निवास प्रमाण पत्रों को जारी करने पर लगाये गये शुल्क से प्राप्त होती है। इन तथ्यों का अवलोकन तालिका क्र. 11.4 में किया जा सकता है।

तालिका क्र. 11.4
ग्राम पंचायत टेंगनाबासा की स्वयं के स्रोत से प्राप्त आय

(राशि रू. में)

क्र. स.	कर का नाम	वर्ष 2020–21 की शेष राशि	वर्ष 2021–22 की मांग राशि	कुल मांग राशि	वसूली राशि	वसूली का प्रतिशत	बकाया राशि
अनिवार्य कर							
1	प्रकाश कर	600	11,400	12,000	10,950	91.25	1,050
2	मकान कर	600	11,400	12,000	10,950	91.25	1,050
3	व्यवसाय कर	–	1,350	1,350	1,200	88.89	150
योग		**1,200**	**24,150**	**25,350**	**23,100**	**91.12**	**2,250**
वैकल्पिक कर							
4	जल कर	–	76,000	76,000	75,000	98.68	1,000
5	तालाब लीज	–	2,15,000	2,15,000	2,15,000	100.00	2,000
6	मोबाईल टॉवर	–	10,000	10,000	10,000	100.00	
योग		**–**	**3,01,000**	**3,01,000**	**3,00,000**	**99.67**	**3,000**
अन्य शुल्क							
7	भवन अनुज्ञा कर	–	2,000	2,000	2,000	100.00	–
8	जाति निवास प्रमाण पत्र	–	120	120	120	100.00	–
योग		**–**	**2,120**	**2,120**	**2,120**	**100.00**	**–**
कुल योग		**1,200**	**3,27,270**	**3,28,470**	**3,25,220**	**99.00**	**5,250**

स्रोत : पंचायत संचालनालय, छत्तीगढ़

बॉक्स 11.2: छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों द्वारा कर संग्रहण में वृद्धि हेतु किये जा रहे प्रयास

- ग्राम पंचायतों में करों की वसूली हेतु नियमित एवं विशेष शिविरों का आयोजन।
- विशेष ग्राम सभा में कर वसूली का प्रस्ताव पारित करना।
- गांव में मुनादी एवं नाटक के माध्यम से करों के भुगतान हेतु जागरूकता लाना।
- ग्राम पंचायतों की बैठकों में करारोपण से आय में वृद्धि हेतु विचार करना।
- प्रथम करदाता को ग्राम सभा में सम्मान।
- ग्राम पंचायत द्वारा कर वसूली हेतु अभियान चलाना।
- ग्राम सभा में कर लगाने पर सहमति बनाना।
- करों के भुगतान हेतु ग्राम पंचायत में कोटवार से मुनादी करवाया जाना।
- स्कूली बच्चों द्वारा कर के संबंध में जागरूकता फैलाना।
- करों के भुगतान हेतु दीवारों पर लेखन करवाना।
- कर वसूली अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु ग्राम सभा में अनुमोदन।
- करारोपण संबंधी नियमों का ग्राम सभा में वाचन।
- ग्राम पंचायत के सभी पारा, टोला, मोहल्लों में सभा करके लोगों को करों के भुगतान हेतु प्रोत्साहित करना।
- ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठक में करारोपण के संबंध में जानकारी देना।
- ग्राम पंचायत में जब भी ग्राम सभा होती है, करारोपण एवं कर संग्रहण पर चर्चा की जाती है।
- जागरूकता रैली का आयोजन।
- स्वसहायता समूहों के माध्यम से करों की वसूली।

स्वयं के स्रोत से आय बढ़ाने हेतु किये जा रहे प्रयास

11.27 स्वयं के स्रोतों तथा करारोपण से आय में वृद्धि करने के लिये ग्राम पंचायत टेंगनाबासा द्वारा अपनाये जाने वाले उपाय निम्नानुसार हैं:

- ग्राम पंचायत के सभी आश्रित ग्रामों में पेसा एक्ट अनुसार वर्ष में 6 बार निर्धारित तिथियों पर ग्राम सभा का आयोजन।
- ग्राम सभा में संपूर्ण वर्ष के आय व्यय की जानकरी देना।
- ग्राम सभा में कर दाताओं तथा बकाया कर दाताओं की सूची का वाचन।
- ग्राम सभा में ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय से सार्वजनिक कल्याण के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी जाती है। स्वयं की आय से किये जाने वाले कार्यों में गलियों का संधारण, स्ट्रीट लाईट के विद्युत बिल का भुगतान, विद्युतीकरण का विस्तार, तालाबों एवं हैण्डपम्पों की सफाई एवं संधारण, शासकीय भवनों का संधारण, राष्ट्रीय पर्वों तथा आकस्मिक कार्यक्रमों का आयोजन सम्मिलित है।

- वार्षिक ग्राम सभा में करारोपण की महत्ता पर प्रकाश डालना।
- ग्राम स्तर पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु, उसकी प्राथमिकता तय करते हुये उनके बजट पर ग्राम सभा में चर्चा करना।

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों की सर्वोत्तम प्रणालियाँ

नगर पालिक निगम रायपुर

11.28 रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी और प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक एवं व्यावसायिक शहर है। रायपुर की नगर निगम जनसंख्या, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 1048120 है। रायपुर नगर निगम 178.35 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। स्थानीय निकायों की कुल राजस्व प्राप्ति में स्वयं के स्रोत से आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। स्थानीय निकायों की स्वयं की आय अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये राज्य पर निर्भरता को कम करती है तथा नीति निर्धारण में स्वतन्त्रता प्रदान करती है। यही कारण है कि स्थानीय, विशेश रूप से नगरीय निकाय स्वयं की आय बढ़ाना चाहते हैं। नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा भी स्वयं के स्रोत से आय बढ़ाने हेतु कई कदम उठाये गये हैं। निगम की कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं:–

संपत्ति कर में वृद्धि के उपाय

11.29 नगरीय स्थानीय निकायों के लिये संपत्ति कर स्वयं की आय का एक सबसे बड़ा स्रोत है। सभी नगरीय निकाय संपत्ति कर के संकलन पर विशेष ध्यान देते हैं। रायपुर नगर निगम द्वारा सभी संपत्तियों को संपत्ति कर के दायरे में लाने, कर भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा कर संग्रहण की कमियों एवं अकुशलता को दूर कर संपत्ति कर से आय में वृद्धि करने के लिये निम्नानुसार कदम उठाये गये हैं:–

1. संपत्तियों का ड्रोन आधारित GIS सर्वेक्षण

11.30 रायपुर नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्तियों का ड्रोन आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographical Information System-GIS) सर्वेक्षण कराया गया है। सर्वेक्षण द्वारा सभी संपत्तियों को विशिष्ट पहचान पत्र (Identification Document-ID) प्रदान किया गया है। सर्वेक्षण द्वारा संपत्ति की संपूर्ण जानकारी यथा–नाम, क्षेत्रफल, मांग तथा लोकेशन इत्यादि प्राप्त की गई है। नये संपत्तियों की पहचान के साथ–साथ क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा 1.9 लाख पुरानी संपत्तियों का डिजिटलीकरण भी किया गया है।

11.31 वर्ष 2017–18 में इस हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। वर्ष 2018–21 के बीच विभिन्न कारणों से परियोजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। वित्तीय वर्ष 2021–22 में परियोजना को क्रियान्वित किया गया।

5भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographical Information System-GIS) पृथ्वी की सतह पर स्थिति से संबंधित डेटा को कैप्चर करने, संग्रहित करने, जांचने और प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली है।

प्रभाव

11.32 संपत्ति कर से रायपुर नगर निगम को मिलने वाले राजस्व पर परियोजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्ष 2015–16 से लेकर 2019–20 तक संपत्ति कर से मिलने वाला राजस्व लगभग स्थिर था और यह लगभग 110 करोड़ था। परियोजना के क्रियान्वित होने के बाद वर्ष 2021–22 में संपत्ति कर संग्रहण बढ़कर रू. 183 करोड़ हो गया।

चित्र 11.1: संपत्ति कर संग्रहण

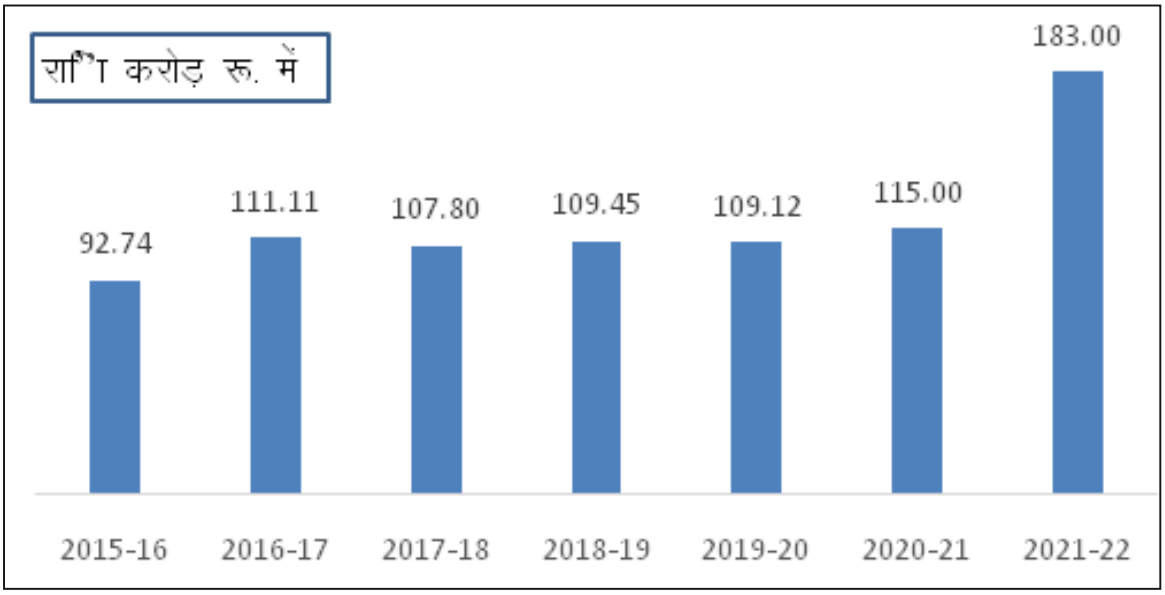

11.33 वर्ष 2021–22 में परियोजना के क्रियान्वयन के बाद पंजीकृत संपत्तियों की संख्या में वर्ष 2017–18 की तुलना में 53 प्रतिशत और इसी अवधि में संपत्ति कर की मांग में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसे रेखाचित्रों के माध्यम से देखा जा सकता है।

चित्र 11.2: पंजीकृत संपत्तियों की संख्या

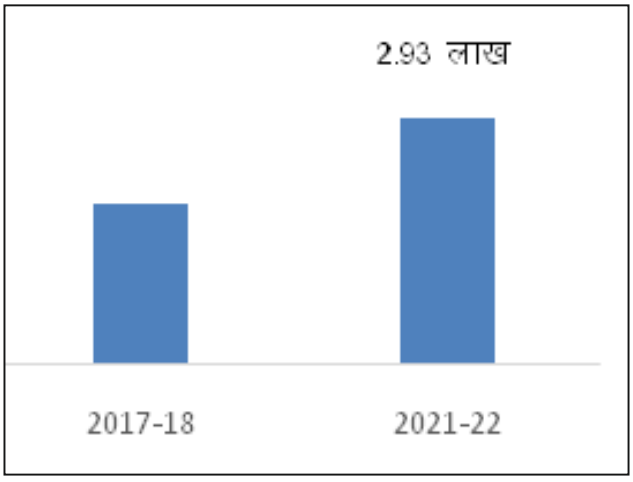

चित्र 11.3: संपत्ति कर मांग

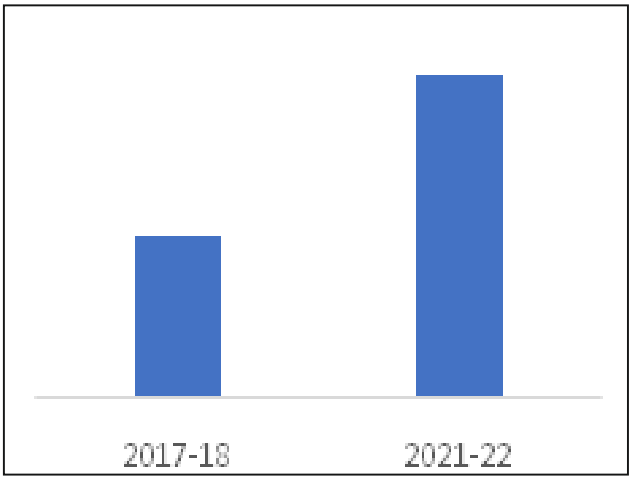

स्रोत : राज्य वित्त आयोग के समक्ष नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा प्रस्तुतीकरण

2. मोबाईल एप का निर्माण

11.34 सूचना तकनीक का उपयोग कर सेवा प्रणाली में सुधार, कार्य में पारदर्शिता लाने तथा नागरिकों एवं निगम की सेवाओं के बीच के अंतराल को कम करने के लिये रायपुर नगर निगम द्वारा 'मोर रायपुर' मोबाईल एप बनाया गया है। एप के माध्यम से नागरिक, निगम द्वारा प्रदत्त कई प्रकार की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। उनमें से प्रमुख निम्नानुसार हैं:–

- संपत्ति कर का भुगतान
- भवन निर्माण अनुमति प्रस्ताव की स्थिति
- नये जल कनेक्शन हेतु आवेदन
- संपत्ति का नामांतरण
- संपत्ति की जानकारी
- नागरिक शिकायतों का पंजीकरण

प्रभाव

11.35 मोबाईल एप बनने के बाद 2022–23 में एक वर्ष में नागरिकों द्वारा एप के माध्यम से 49095 शिकायतें की गईं उसमें से 48362 समस्याओं का निराकरण किया गया। कुल 3.29 लाख कर दाताओं में से 22,400 कर दाताओं द्वारा 1.52 करोड़ संपत्ति कर का भुगतान मोबाईल एप के माध्यम से प्राप्त किया गया है। संपत्ति नामांतरण के 2971 और नल कनेक्शन के 210 आवेदन प्राप्त हुये हैं।

3. डिजिटल डोर नंबर प्लेट

11.36 रायपुर नगर निगम द्वारा निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों का सर्वेक्षण करने के बाद सभी पहचान की गई संपत्तियों पर डिजिटल डोर नंबर (Digital Door Number-DDN) प्लेट लगाने की परियोजना को भी हाथ में लिया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य सभी वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों की विशेषताओं के लिए एक सटीक डेटाबेस बनाने के साथ–साथ प्रत्येक प्रतिष्ठान/संपत्ति को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है। उसी विशिष्ट आईडी का उपयोग, नगरपालिक सेवाओं को कुशलता से प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के अनुसार DDN का उपयोग भविष्य में निम्नानुसार, राजस्व प्राप्त करने तथा अन्य कार्यों के लिये भी किया जा सकेगा:–

- टैक्सी सेवा
- फूड एवं ई–कॉमर्स डिलीवरी
- आपातकालीन सेवा जैसे एम्बुलेन्स एवं कानून एवं व्यवस्था
- बैंकिंग में KYC सहयोग तथा इन्श्योरेन्स के क्लेम एवं प्रीमियम के लिये
- स्थानीय ई–कॉमर्स
- सामान्य पते के लिये

11.37 डिजिटल डोर नंबर का उपयोग नगर निगम द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से राजस्व बढ़ाने के साथ अन्य कार्यों के लिये भी किया जा सकेगा जैसे :–

- नल कनेक्शन
- गैरकानूनी भवन निर्माण की पहचान
- अनाधिकृत भवन निर्माण का नियमितिकरण
- नागरिक शिकायतें

प्रभाव

11.38 डिजिटल डोर नंबर प्लेट के लगाते समय ऐसी बहुत सी संपत्तियाँ जिन पर संपत्ति कर का निर्धारण नही हुआ था, ऐसी संपत्तियों को संपत्ति कर के दायरे में लाया गया। इससे कर निर्धारित संपत्तियों में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। डिजिटल डोर नंबर प्लेट पर दिये गये संपत्ति और कोड के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान में वृद्धि हुई है। ऑनलाईन कर प्राप्ति 2021 में रू. 2 लाख प्रतिदिन से बढ़कर 2022 में रू. 8 से 9 लाख प्रतिदिन हो गई।

स्वयं के स्रोत से आय बढ़ाने के अन्य उपाय

नालों के गंदे पानी को साफ कर बेचना[6]

11.39 नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा स्वयं के स्रोत से राजस्व बढ़ाने के लिये शहर के नालों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ कर बड़ी कंपनियों को बेचने की योजना बनाई गई है। रायपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के 17 नालों का 170 एमएलडी पानी खारून नदी में गिरता है। नगर निगम द्वारा इस गंदे पानी को रोकने और साफ करने के लिये 261 करोड़ के व्यय से 200 एमएलडी क्षमता के तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये गये हैं। इन प्लांटों से अभी प्रति दिन 160 एमएलडी पानी साफ किया जा रहा है। यही पानी कंपनियों को बेचा जायेगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले साफ पानी को खरीदने के लिये आधा दर्जन कंपनियों द्वारा अपनी सहमति भी दे दी गई है। अनुबंध के अनुसार निगम को एक हजार लीटर के बदले 10 रूपये मिलेंगे। इस प्रकार इस योजना से एक तरफ रायपुर के गंदे नालों के पानी को खारून नदी में मिलने से रोका जा सकेगा और दूसरी तरफ निगम को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।

घरों के नल कनेक्शन पर वाटर मीटर लगाना

11.40 रायपुर नगर निगम शहर के लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की सुविधा पर कार्य कर रही है। प्रारंभ में 15 वार्डों के 2.40 लाख लोगों को 24 घंटे पानी देने की योजना है। इसके लिये घरों में वाटर मीटर लगाया जायेगा, जिससे पता चलेगा कि लोगों के द्वारा कितना पानी उपयोग किया जा रहा है। निगम के द्वारा, वर्तमान में, एक घर में यदि पांच मेंबर हैं तो उनके लिये 750 लीटर पानी की खपत को मानक बनाया गया है। एक घर में 750 लीटर पानी की खपत होने पर निगम उससे पुरानी दर 240 रूपये प्रतिमाह की दर से जल कर की राशि वसूल करेगा। लेकिन यदि 750 लीटर से अधिक पानी की खपत होती है तो उससे अतिरिक्त राशि वसूल की जायगी। इस योजना के क्रियान्वयन से निम्नांकित सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगेः–

- नागरिकों को 24 घंटे नियमित जल की प्राप्ति होगी।
- पानी के फ्लो के साथ क्वॉलिटी की भी मॉनिटरिंग होगी।
- पाइपलाइन में लीकेज, ओवरफ्लो होने जैसी दिक्कतों को नियंत्रित किया जा सकेगा।
- गैर कर राजस्व पानी (Non Revenue Water-NRW) की कमी होगी।
- नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी।

[6]दैनिक भास्कर, रायपुर, दिनांक 4 नवंबर, 2023, पृष्ठ क्र. 22

[7]दैनिक भास्कर, रायपुर, दिनांक 11 नवंबर, 2023, पृष्ठ क्र. 14